न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 30 / 2021

पुरूषोत्तम पुत्र चरनसिंह निवासी सिरसौंदा, तहसील व पो० आ० रूपवास जिला भरतपुर।

बनाम

उप जिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 31.03.2021**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट पुरूषोत्तम पुत्र चरनसिंह निवासी सिरसौंदा, तहसील व पो० आ० रूपवास जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 20.01.2021 राज्य निर्वाचन आयोग जयपुर से सूचना चाही गई थी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रार्थी का आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) में उप जिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर को हस्तांतरित किया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 262 दिनांक 22.03.2021 के द्वारा उप जिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बावत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर से उनके पत्र कमांक / 983 दिनांक 25.03.2021 के द्वारा जवाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं उप जिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर से सूचनांऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर ने अपने जवाब पत्र कमांक 983 दिनांक 25.03.2021 से अवगत कराया है कि अपीलान्ट द्वारा नियमानुसार सूचना शुल्क जमा कराये जाने पर कार्यालय पत्रांक 752 दिनांक 26.02.2021 से अपीलान्ट को वांछित सूचनाऐं उपलब्ध करा दी गई हैं। पत्र के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलार्थी को वांछित सूचनाऐं उपलब्ध करा दी गई हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर ने अपने जबाब की ताईद में

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०.

पत्र कमांक 752 दिनांक 26.02.2021 की प्रति भी भिजवाई गई है। स्पष्ट है कि रेस्पो0 ने अपीलांट को वांछित सूचनाऐं उपलब्ध करा दी हैं।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (उप जिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति उप जिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर को भी भेजी जावे।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर